प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना-अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यूस)

प्रश्न सं-1 योजना की प्रकृति क्या है ?

इस बीमा योजना में हर वर्ष नवीनीकरणीय एक वर्ष के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर है।

प्रश्न सं-2योजना के अंतर्गत लाभ और देय प्रीमियम क्या होगा ?

किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर रु2 लाख देय होंगे |प्रीमियम राशि रु 330/- प्रति सदस्य प्रति वर्ष है |

प्रश्न सं-3प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा ?

नामांकन में दिए गए विकल्प के अनुसार यह प्रीमियम राशि खाताधारी के बचत बैंक खाते से ''स्वतनामे:'' सुविधा के अनुसार एक किश्त में काट ली जाएगी। वर्ष दर वर्ष योजना के अनुभव की समीक्षा के दौरान पुन में जांच:आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन के अध्याधीन सदस्य योजना के लागू रहने तक प्रति वर्ष ''स्वतनामे:'' का एकबारगी अधिदेश भी दे सकते हैं।

प्रश्न सं-4 योजना को प्रस्तावित /संचालित कौन करेगा ?

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से पेश/प्रशासित की जाएगी तथा अन्य जीवन बीमा कंपनियाँ, आवश्यक मंजूरी के बाद बैंकों को संलग्न कर समान शर्तों पर उत्पाद प्रदान कर सकती है। सहभागी बैंक इस तरह की अन्य किसी भी जीवन बीमा कंपनी को संलग्न कर अपने ग्राहकों हेतु यह योजना लागू कर सकते है।

प्रश्न सं-5 सदस्यता के लिए कौन पात्र होगा ?

सहभागी बैंकों के बचत बैंक खाता धारक, जिनकी उम्र 18 वर्ष (पूर्ण) से 50 वर्ष (जन्मदिन के निकटतम आयु) के बीच है सदस्यता के लिए पात्र हैं । यदि, किसी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों मे कई बचत खाते हो तो ऐसे मामलों में,वह व्यक्ति केवल एक बचत खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा |

प्रश्न सं-6'नामांकन की अवधि तथा विधि क्या है ?

प्रारंभ में, 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक की कवर अविध के लिए, ग्राहकों को 31 मई, 2015 तक योजना में नामनिवेश करना होगा तथा स्वतः नामे की सहमित देनी होगी।यह समय सीमा 31 अगस्त, 2015 तक बढ़ाई जा सकती है |जो बाद में शामिल होना चाहते है वे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्यका स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर संभावित कवर प्राप्त कर सकते है |

जो सदस्य प्रथम वर्ष के पश्चात सदस्यता जारी रखना चाहते हैं , उन्हें बचत बैंक खाते से स्वतः नामें द्वारा नामांकन/भुगतान करने के लिए हर वर्ष 31 मई तकविकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन पूर्ण वार्षिक प्रीमियम भुगतान के साथ अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संभव हो सकता है |

प्रश्न सं-7 क्या वे पात्र व्यक्ति जो की प्रारम्भिक वर्ष में योजना में शामिल नहीं हो पाए ,बाद के वर्षों में योजना में शामिल हो सकते हैं ?

जी हाँ, स्वतः नामे से प्रीमियम भुगतान कर निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्यका स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर संभावित कवर प्राप्त कर सकते हैं | नए पात्र सदस्य भविष्य के वर्षों में इसी प्रकार शामिल हो सकते हैं।

प्रश्न सं-8 क्या जो व्यक्ति योजना छोड़ जाते हैं वे फिर से जुड़ सकते हैं ?

इस योजना से बाहर निकलने वाले व्यक्तिकिसी भी समय, भविष्य के वर्षों में,वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर तथा निर्धारित प्रोफॉर्मा में अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत कर इस योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं |

प्रश्न सं-9 योजना के लिए मास्टर पालिसी धारक कौन होगा ?

सहभागी बैंक मास्टर पालीसी धारक होंगे|सहभागी बैंक के साथ परामर्श के पश्चात, जीवन बीमा निगम/अन्य बीमा कम्पनी द्वारा एक सरल और ग्राहक अनूकूल प्रशासन और दावा निपटान की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा |

प्रश्न सं-10 सदस्य के जीवन पर आश्वासनकब समाप्त होगा ?

सदस्य के जीवन पर आश्वासन निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी एक घटना घटनेपर समाप्त होगा:

- क) 55 साल की उम्र (निकटतम जन्म दिन) होने पर बशर्ते यह कि उस तिथि (प्रवेश ,हालांकि, 50 वर्ष की आयु परे संभव नहीं होगा) तक वार्षिक नवीनीकरण हो |
- ख) बैंक के साथ खाता बंद होने पर या बीमा कवर चालू रखने हेत् पर्याप्त राशि न होने पर |
- ग) यदि सदस्य एलआईसी/अन्य कम्पनी के साथ एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया गया है और एलआईसी/ अन्य कम्पनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है तो उस स्थिति में बीमा कवर रु 2 लाख के लिए प्रतिबंधित हो जाएगा तथा प्रीमियम जब्त होने के लिए उत्तरदायी होगा |

प्रश्न सं-11 बीमा कंपनी तथा बैंक की क्या भूमिका होगी ?

(क)यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) या किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी,जो बैंक/बैंकों को संलग्न कर इसी तरह की शर्तों पर उत्पाद प्रदान करना चाहती है,के माध्यम से पेश/प्रशासित की जाएगी।

(ख)खाताधारकों से देय तिथि पर या उस से पूर्व स्वतः नामे प्रक्रिया द्वारा विकल्प के अनुसार नियत प्रीमियम की एक किश्त में वसूली तथा बीमा कंपनी को देय राशि प्रेषित करने की ज़िम्मेदारी सहभागी बैंक की होगी |

(ग) निर्धारित प्रोफॉर्मा में नामांकन फार्म/ स्वतः नामे प्राधिकरण/सहमित सह घोषणा पत्र सहभागी बैंक द्वारा प्राप्त किए तथा रखे जाएँगे|दावों के मामलों में,एलआईसी/बीमा कम्पनी इनके प्रस्तुतीकरण की मांग कर सकतीहै| एलआईसी/ बीमा कम्पनी किसी भी समय इन दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है |

प्रश्न सं-12 प्रीमियम का विनियोजन कैसे होगा ?

एलआईसी/ बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियम : रु 289/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य बीसी/माइक्रो/निगमित/अभिकर्ताओं को व्यय की प्रतिपूर्ति : रु 30/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य सहभागी बैंको को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति : रु 11/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य प्रश्न सं-13 क्या यह कवर किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत जिसमें सदस्य कवर हो, के कवर से अतिरिक्त होगा ? जी हाँ।

एजेंसी / बीसीकोड ___

LOGO (बैंक का नाम)

(पी एम एस बी वाई का लोगो)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

सहमति-सह-घोषणा फार्म

(स्वीकृत "नामांकन अवधि" के दौरान योजना में शामिल होने वाले सदस्यों द्वारा भरा जाए)

बैंक खाता सं.		
447 GI(II (I.		
	योजना में शामिल होने की तिथि: 1 ज्	नून/जुलाई/अगस्त/सितंबर, 2015
• पूरा नाम		5. मोबाईल /संपर्क सं
• ч ता		6. आधार सं., यदि उपलब्ध हो
-		. ગાવાર તા, વાલ ગાલવ શ
		_
3. जन्मतिथि(के वाई सी दस्त	गवेज के अनुसार) (दिन/माह/वर्ष)	7. क्या किसी अशक्तता से प्रभावित हैं
		यदि हाँ तो उसका विवरण
4. ईमेल आईडी		8. नामिति का नाम व पता, यदि कोई है, तथा उसके साथ संबंध
4. इनल जाइडा		
9. अभिभावक का नाम व पता	ा, यदि नामिति नाबालिग है	
*		
अंतर्गत लाभों को प्राप्त करने के	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामि	ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ।
अंतर्गत लाभों को प्राप्त करने के मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामि	उपरोक्त नामिति को नामित करता हूँ। नामिति के 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पूर्व मेरी मृत्यु की दशा में, योज ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ। मधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगा तथा किसी दावे का भु
अंतर्गत लाओं को प्राप्त करने के मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी नहीं किया जाएगा।	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामि अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्र	ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ।
अंतर्गत लाओं को प्राप्त करने के मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी नहीं किया जाएगा। मैं योजना में नामांकन की तिथि	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामिं अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्र के पश्चात् अगले माह की पहली तारीख	ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ। मधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगा तथा किसी दावे का भु
अंतर्गत लाओं को प्राप्त करने के मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी नहीं किया जाएगा। मैं योजना में नामांकन की तिथि मैं मास्टर पॉलिसी के आरंभ होने	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामिं अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्र के पश्चात् अगले माह की पहली तारीख के बाद भी योजना में शामिल होने पर	ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ। मधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगा तथा किसी दावे का भु ंसे कवर आरंभ करने के लिए सहमत हूँ।
अंतर्गत लाओं को प्राप्त करने के मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी नहीं किया जाएगा। मैं योजना में नामांकन की तिथि मैं मास्टर पॉलिसी के आरंभ होने मैं सहमत हूँ कि योजना में मेरी	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामिं अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्र के पश्चात् अगले माह की पहली तारीख के बाद भी योजना में शामिल होने पर सदस्यता वार्षिक नवीकरण की तिथि पर	ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ। मधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगा तथा किसी दावे का भु ' से कवर आरंभ करने के लिए सहमत हूँ। पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए सहमत हूँ। र 70 वर्ष की आयु होने तक तथा सभी देय प्रीमियमों का भुगतान करने तक बनी रहेगी।
अंतर्गत लाओं को प्राप्त करने के मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी नहीं किया जाएगा। मैं योजना में नामांकन की तिथि मैं मास्टर पॉलिसी के आरंभ होने मैं सहमत हूँ कि योजना में मेरी	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामिं अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्र के पश्चात् अगले माह की पहली तारीख के बाद भी योजना में शामिल होने पर सदस्यता वार्षिक नवीकरण की तिथि पर	ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ। मधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगा तथा किसी दावे का भु ' से कवर आरंभ करने के लिए सहमत हूँ। पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए सहमत हूँ। ह 70 वर्ष की आयु होने तक तथा सभी देय प्रीमियमों का भुगतान करने तक बनी रहेगी। सहमत हूँ। मैं, आपके द्वारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपने शामिल होने के बारे में, यथावश्यक, मेरा व्यवि
अंतर्गत लाओं को प्राप्त करने के मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी नहीं किया जाएगा। मैं योजना में नामांकन की तिथि मैं मास्टर पॉॉलिसी के आरंभ होने मैं सहमत हूँ कि योजना में मेरी मैं उपरोक्त योजना के सभी निय विवरण(बीम	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामिं अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्र के पश्चात् अगले माह की पहली तारीख के बाद भी योजना में शामिल होने पर सदस्यता वार्षिक नवीकरण की तिथि पर यमों व शर्तों का पालन करने के लिए र मा कंपनी का नाम जो पहले से प्रिंट हो	ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ। ग्रेंधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगा तथा किसी दावे का भु से कवर आरंभ करने के लिए सहमत हूँ। पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए सहमत हूँ। 70 वर्ष की आयु होने तक तथा सभी देय प्रीमियमों का भुगतान करने तक बनी रहेगी। सहमत हूँ। मैं, आपके द्वारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपने शामिल होने के बारे में, यथावश्यक, मेरा व्यि) को देने के लिए सहमत हूँ। त्य हैं तथा मैं सहमत हूँ तथा घोषणा करता हूँ कि यह जानकारी उपरोक्त योजना में शामिल होने के लिए आधार होगी
अंतर्गत लाओं को प्राप्त करने के मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी नहीं किया जाएगा। मैं योजना में नामांकन की तिथि मैं मास्टर पॉलिसी के आरंभ होने मैं सहमत हूँ कि योजना में मेरी मैं उपरोक्त योजना के सभी निय विवरण(बीम	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामिं अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्र के पश्चात् अगले माह की पहली तारीख के बाद भी योजना में शामिल होने पर सदस्यता वार्षिक नवीकरण की तिथि पर गमों व शर्तों का पालन करने के लिए प्र मा कंपनी का नाम जो पहले से प्रिंट हो	ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ। ग्रंधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगा तथा किसी दावे का भु से कवर आरंभ करने के लिए सहमत हूँ। पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए सहमत हूँ। 70 वर्ष की आयु होने तक तथा सभी देय प्रीमियमों का भुगतान करने तक बनी रहेगी। सहमत हूँ। मैं, आपके द्वारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपने शामिल होने के बारे में, यथावश्यक, मेरा व्यि) को देने के लिए सहमत हूँ। त्य हैं तथा मैं सहमत हूँ तथा घोषणा करता हूँ कि यह जानकारी उपरोक्त योजना में शामिल होने के लिए आधार होगी
अंतर्गत लाओं को प्राप्त करने के मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी नहीं किया जाएगा। मैं योजना में नामांकन की तिथि मैं मास्टर पॉलिसी के आरंभ होने मैं सहमत हूँ कि योजना में मेरी मैं उपरोक्त योजना के सभी निय विवरण(बीम	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामिं अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्र के पश्चात् अगले माह की पहली तारीख के बाद भी योजना में शामिल होने पर सदस्यता वार्षिक नवीकरण की तिथि पर गमों व शर्तों का पालन करने के लिए प्र मा कंपनी का नाम जो पहले से प्रिंट हो	ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ। ग्रेधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगा तथा किसी दावे का भु से कवर आरंभ करने के लिए सहमत हूँ। पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए सहमत हूँ। 70 वर्ष की आयु होने तक तथा सभी देय प्रीमियमों का भुगतान करने तक बनी रहेगी। सहमत हूँ। मैं, आपके द्वारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपने शामिल होने के बारे में, यथावश्यक, मेरा व्यि) को देने के लिए सहमत हूँ। त्य हैं तथा मैं सहमत हूँ तथा घोषणा करता हूँ कि यह जानकारी उपरोक्त योजना में शामिल होने के लिए आधार होगी ———————————————————————————————————
अंतर्गत लाओं को प्राप्त करने के मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी नहीं किया जाएगा। मैं योजना में नामांकन की तिथि मैं मास्टर पॉलिसी के आरंभ होने मैं उपरोक्त योजना में मेरी मैं उपरोक्त योजना के सभी निय विवरण(बीम मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ वि	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामिं अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्र के पश्चात् अगले माह की पहली तारीख के बाद भी योजना में शामिल होने पर सदस्यता वार्षिक नवीकरण की तिथि पर गमों व शर्तों का पालन करने के लिए प्र मा कंपनी का नाम जो पहले से प्रिंट हो	ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ। ग्रंधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगा तथा किसी दावे का भ् 'से कवर आरंभ करने के लिए सहमत हूँ। पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए सहमत हूँ। 70 वर्ष की आयु होने तक तथा सभी देय प्रीमियमों का भुगतान करने तक बनी रहेगी। सहमत हूँ। मैं, आपके द्वारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपने शामिल होने के बारे में, यथावश्यक, मेरा व्यि) को देने के लिए सहमत हूँ। त्य हैं तथा मैं सहमत हूँ तथा घोषणा करता हूँ कि यह जानकारी उपरोक्त योजना में शामिल होने के लिए आधार होगी
अंतर्गत लाओं को प्राप्त करने के मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी नहीं किया जाएगा। मैं योजना में नामांकन की तिथि मैं मास्टर पॉलिसी के आरंभ होने मैं सहमत हूँ कि योजना में मेरी मैं उपरोक्त योजना के सभी निय विवरण(बीम	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामिं अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्र के पश्चात् अगले माह की पहली तारीख के बाद भी योजना में शामिल होने पर सदस्यता वार्षिक नवीकरण की तिथि पर गमों व शर्तों का पालन करने के लिए प्र मा कंपनी का नाम जो पहले से प्रिंट हो	ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ। ग्रेधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगा तथा किसी दावे का भु से कवर आरंभ करने के लिए सहमत हूँ। पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए सहमत हूँ। 70 वर्ष की आयु होने तक तथा सभी देय प्रीमियमों का भुगतान करने तक बनी रहेगी। सहमत हूँ। मैं, आपके द्वारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपने शामिल होने के बारे में, यथावश्यक, मेरा व्यवि) को देने के लिए सहमत हूँ। त्य हैं तथा मैं सहमत हूँ तथा घोषणा करता हूँ कि यह जानकारी उपरोक्त योजना में शामिल होने के लिए आधार होगी। ———————————————————————————————————
अंतर्गत लाओं को प्राप्त करने के मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी नहीं किया जाएगा। मैं योजना में नामांकन की तिथि मैं मास्टर पॉॉलिसी के आरंभ होने मैं उपरोक्त योजना में मेरी मैं उपरोक्त योजना के सभी निय विवरण (बीम मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ वि यदि कोई सूचना गलत पाई जाती दिनांक:	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामिं अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्र के पश्चात् अगले माह की पहली तारीख के बाद भी योजना में शामिल होने पर सदस्यता वार्षिक नवीकरण की तिथि पर गमों व शर्तों का पालन करने के लिए प्र मा कंपनी का नाम जो पहले से प्रिंट हो	ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ। ग्रेधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगा तथा किसी दावे का भु से कवर आरंभ करने के लिए सहमत हूँ। पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए सहमत हूँ। 70 वर्ष की आयु होने तक तथा सभी देय प्रीमियमों का भुगतान करने तक बनी रहेगी। सहमत हूँ। मैं, आपके द्वारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपने शामिल होने के बारे में, यथावश्यक, मेरा व्यि) को देने के लिए सहमत हूँ। त्य हैं तथा मैं सहमत हूँ तथा घोषणा करता हूँ कि यह जानकारी उपरोक्त योजना में शामिल होने के लिए आधार होगी ———————————————————————————————————
अंतर्गत लाओं को प्राप्त करने के मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी नहीं किया जाएगा। मैं योजना में नामांकन की तिथि मैं मास्टर पॉलिसी के आरंभ होने मैं उपरोक्त योजना में मेरी मैं उपरोक्त योजना के सभी निय विवरण	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामिं अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्र के पश्चात् अगले माह की पहली तारीख के बाद भी योजना में शामिल होने पर सदस्यता वार्षिक नवीकरण की तिथि पर ममें व शर्तों का पालन करने के लिए प्र मा कंपनी का नाम जो पहले से प्रिंट हो क उपरोक्त सभी विवरण पूर्ण रूप से सत है तो मेरी सदस्यता रद्द समझी जाएग	ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ। स्थानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगा तथा किसी दावे का भु से कवर आरंभ करने के लिए सहमत हूँ। पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए सहमत हूँ। र 70 वर्ष की आयु होने तक तथा सभी देय प्रीमियमों का भुगतान करने तक बनी रहेगी। सहमत हूँ। मैं, आपके द्वारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपने शामिल होने के बारे में, यथावश्यक, मेरा व्यि) को देने के लिए सहमत हूँ। त्य हैं तथा मैं सहमत हूँ तथा घोषणा करता हूँ कि यह जानकारी उपरोक्त योजना में शामिल होने के लिए आधार होगी खाताधारक के हस्ताक्षर पावती सह बीमा प्रमाणपत्र
अंतर्गत लाओं को प्राप्त करने के मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी नहीं किया जाएगा। मैं योजना में नामांकन की तिथि मैं मास्टर पॉलिसी के आरंभ होने मैं उपरोक्त योजना में मेरी मैं उपरोक्त योजना के सभी निय् विवरण (बीम् मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ वि यदि कोई सूचना गलत पाई जाती दिनांक: हस्ताक्षर सत्यापित (बैंक शाखा प्राधिकारी)	उद्देश्य से मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नामिं अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्र के पश्चात् अगले माह की पहली तारीख के बाद भी योजना में शामिल होने पर सदस्यता वार्षिक नवीकरण की तिथि पर यमों व शर्तों का पालन करने के लिए प्र मा कंपनी का नाम जो पहले से प्रिंट हो क उपरोक्त सभी विवरण पूर्ण रूप से सत् ह है तो मेरी सदस्यता रद्द समझी जाएग	ति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ। ग्रेंधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगा तथा किसी दावे का भु से कवर आरंभ करने के लिए सहमत हूँ। पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए सहमत हूँ। र 70 वर्ष की आयु होने तक तथा सभी देय प्रीमियमों का भुगतान करने तक बनी रहेगी। सहमत हूँ। मैं, आपके द्वारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपने शामिल होने के बारे में, यथावश्यक, मेरा व्यि) को देने के लिए सहमत हूँ। त्य हैं तथा मैं सहमत हूँ तथा घोषणा करता हूँ कि यह जानकारी उपरोक्त योजना में शामिल होने के लिए आधार होगी खाताधारक के हस्ताक्षर

पात्रता और विचार राशि की प्राप्ति के बारे में जानकारी की शुद्धता के अधीन योजना के अनुसार कवरेज प्रमाणित करते हैं।

PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA (PMSBY) CLAIM FORM

This form is issued without admission of liability. It must be completed and submitted to the branch where the insured holds the underlying Bank Account, preferably within 30 days of the accident resulting in claim.

01	Name of the Account holder (Insured person)
02	Full address of the Insured:
03	Name and address of the Bank Branch:
04	Savings Bank Account Number:
05	Contact details of insured (if available):
	Mobile No:
	Phone number:
	email address:
	Aadhar no. if available:
06	Details of Nominee (in case of death of insured):
	Name:
	Mobile / Phone number:
	Email address:
	Bank Account Particulars (for electronic transfer):
	Aadhar no. if available:
07	Details of Accident.
	a) Day, Date, and Time of occurrence:
	b) Where did it occur:
	c) Nature of Accident:
0.0	d) Cause of Death/Details of Injury:
08	Name address and contact details of Hospital/
00	attending Doctors:
09	State where and when a Medical or other Officer of the
10	Company can visit the Insured.
10	Documents to be Submitted in support of the Claim:
	a) In case of Death: Original FIR/ Panchnama, Post Montage Barrett and Death Contificate
	Mortem Report and Death Certificate. b) In case of Permanent Disablement: Original FIR/
	Panchnama and Disability Certificate from Civil
	Surgeon.
	c) Discharge voucher
	c) Discharge voucher

Declaration: I hereby declare and warrant that the foregoing particulars are true and complete in every respect and I agree that if any of the details given above are proved to be false or untrue, or there is any suppression or concealment, my right of compensation shall be forfeited. I also declare that I have not claimed the amount due under PMSBY cover on account of the above accident through any other cover under PMSBY.

	Dated:	Signature of the Claimant/	re of the Claimant/Nominee.		
I	For Office Use:				
	Policy Number:	Claim Number:			

PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA DISCHARGE VOUCHER

Claim No. :(to be filled by Bank)	Policy No.:
Name of Bank / branch:	Name of Insured:
Bank Account No. of Insured:	Date:
In Consideration of approval of my claim reference (name of the Insurance Company) the sum of full and final settlement of my/our claim arise on (date of loss) covered under Policy No. fromto	Rs. (approved net Claim amount) in ing out ofwhich occurred
I/We hereby voluntarily give discharge receip settlement of all my/our claims present or respect of the said loss/accident. I/We hereby remedies to the Company in respect of the above	future arising directly/indirectly in also subrogate all my/our rights and
	One Rupee Rev.Stamp
	Signature of the Nominee /Insured.
Full Name: Address: Account No of Nominee: Witness Full Name Address	
Counter Signature of Authorise	ed Official of the Bank

Bank Name & Branch: Address:

PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA (PMSBY) <u>CLAIMS PROCEDURE</u>

- 1) Immediately after the occurrence of an accident which may give rise to a claim under the policy, the insured or the nominee (in case of death of the insured) shall contact the bank branch where the insured person held the underlying Bank Account from which the premium for the policy was auto debited and submit a duly completed claim form.
- 2) The claim form may be obtained from the above bank branch or any other designated source like insurance company branches, hospitals, PHCs, BCs, insurance agents etc., including from designated websites. The insurance companies concerned shall ensure wide availability of forms at all such locations. Supply of the form shall not be denied to any person requesting the same.
- 3) The Claim form shall be completed by the insured or, as the case may be,by the nominee and submitted to the above bank branch preferably within 30 days of the occurrence of the accident giving rise to the claim under the policy.
- 4) The Claim form shall be supported, in case of death of the insured, by the Original FIR/ Panchnama, Post Mortem Report and Death Certificate and in case of permanent disablement, by Original FIR/ Panchnama and a Disability Certificate issued by a Civil Surgeon. A discharge certificate in the enclosed format shall also be submitted by the claimant / nominee.
- 5) The authorised official of the Bank shall check the account / auto-debit particulars and verify the account details, nomination, debiting of premium / remittance to insurer and certify the correctness of the information given in the claim form, and forward the case to the insurance company concerned within 30 days of the submission of the claim.
- 6) Insurer will verify and confirm that premium has been remitted for the insured and the insured is included in the list of insured persons in the master policy.
- 7) Claim shall be processed by the insurance Company which has issued the master policy for the Bank within 30 days of its receipt from the Bank.
- 8) The admissible Claim amount will be remitted to the Bank Account of the insured or the nominee, as the case may be.
- 9) In case of death of an insured who has not named his/ her nominee the admissible claim amount shall be paid to the legal heirs of the insured on production of Succession Certificate/ Legal Heir certificate from the Competent Court/ authority.
- 10) Maximum time limit for Bank to forward duly completed claim form to Insurance Company is thirty days and maximum time limit for Insurance Company to approve claim and disburse money thereafter is thirty days.

	STATE LEVEL BANKERS' COMMITTEE , JHARKHAND DETAILS OF CLAIM SETTLEMENT UNDER PMJJBY & PMSBY							
NAME OF THE INSURANCE			PI	RADHAN MANTRI SURAKSHA BEE	FMA YOINA (PMSBY)			
COMPANY	DETAILS FOR SETTLEMENT OF CLAIMS UNDER THE SCHEME							
	NAMES OF BANKS WITH	DETAILS OF NODAL OFFICIAL			CONTACT DETAILS OF DESIGNATED OFFICE FOR SUBMISSION OF CLAIM			
	WHICH MOU HAS BEEN ESTABLISHED FOR THE SCHEME	NAME	мов. по	E-Mail I.D	NAME	TEL/MOB. NO	BRIEF ADDRESS	
	Bank of India	Kamal Singh	02222708602	singh.kamal@newindia.co.in	NIA, Head Office	02222708602	PMSBY/Bancassurance Dept, 87 M G Road, Fort, Mumbai- 400 001	
	Punjab & Sind Bank	Kamal Singh	02222708602	singh.kamal@newindia.co.in	NIA, Head Office	02222708602	PMSBY/Bancassurance Dept, 87 M G Road, Fort, Mumbai- 400 001	
	Union Bank of India	Kamal Singh	02222708602	singh.kamal@newindia.co.in	NIA, Head Office	02222708602	PMSBY/Bancassurance Dept, 87 M G Road, Fort, Mumbai- 400 001	
New India Assurance Co.	Bhartiya Mahila Bank	Kamal Singh	02222708602	singh.kamal@newindia.co.in	NIA, Head Office	02222708602	PMSBY/Bancassurance Dept, 87 M G Road, Fort, Mumbai- 400 001	
	Central Bank of India	Kamal Singh	02222708602	singh.kamal@newindia.co.in	NIA, Head Office	02222708602	PMSBY/Bancassurance Dept, 87 M G Road, Fort, Mumbai- 400 001	
	Corporation Bank	Kamal Singh	02222708602	singh.kamal@newindia.co.in	NIA, Head Office	02222708602	PMSBY/Bancassurance Dept, 87 M G Road, Fort, Mumbai- 400 001	
	Jharkhand Gramin Bank	Sonal P Tete	9162473483	sonal.tete@newindia.co.in	NIA Branch Office(540305)	0651-2284122/2284140	'Vaishnavi Bhawan' 1st Floor, Ratu Road, Ranchi- 834001	
	STATE BANK OF INDIA	BALARAM JHA, HAZARIBAG	8405802623	balaram. Jha @nic. Co.in				
	BANK OF BARODA	RAJEEV RANJAN, RANCHI	8405802666	rajeev.ranjan@nic.co.in	AWANEESH KRISHNA	8405802619	NATIONAL INSURANCE, PATNA REGIONAL OFFICE,B CHAND PATEL MARG ,SONE BHAWAN 4th FLOOR, PATNA-1	
	UNITED BANK OF INDIA	MIHIR KR JHA, DEOGHAR	8405802656	mihir k. jha@nic.co.in	Patna Regional Claim Hub	8403802019	PAINA-1	
National Insurance Co.	0,11122 211111 01 111211	K K SINHA,GUMLA	8405802568	kishorek.sinha@nic.co.in				
		RITU ANKITA, LOHARDAGA	8405802648	ritu.ankita@nic.co.in				
		RAM LAGAN PRADHAN,DATONGANJ	8405802462	r l .pradhan@ nic.co.in				
		SALU ORAON,GIRIDIH PRASHANT J TIRKEY,LATEHAR	8405802581 8757233016	salu.oraon@nic.co.in pj. tirkey@nic.co.in				
		FRASHANT J TIRRET, LATERAR	8737233010	pj. tirkey@iiic.co.iii				
Oriental Insurance Co.	Punjab National Bank	Sri E.R.Shah	9279705690	ershah@orientalinsurance.co.in	Sri E.R.Shah	9279705690	Sri E.R.Shah; Divisional Manager; Oriental Insuranc DO2; Near Hotel Yuvraj Palace;Kadru Diversion Roa Ranchi	
	Oriental Bank of Commerce	Sri Alok Kr Singh	9471000146	aloksingh@orientalinsurance.co.in	Sri K. Jamil	9835148796	K.Jamil; Admn.Officer; Oriental Insurance Tiwari Enclave; Lalpur Chowk; Ranchi	